

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3525

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष के माध्यम से वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में सुधार

3525. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुष आधारित हस्तक्षेपों का प्रयोग करते हुए वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ;
- (ख) सरकार द्वारा यह किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत उक्त पहल ग्रामीण और वंचित वरिष्ठ नागरिकों जिनकी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक आसान पहुंच नहीं है, तक पहुंचे;
- (ग) वृद्धजनों की देखभाल और व्यसनियों के पुनर्वास में आयुष पद्धतियों को एकीकृत करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इन पहलों की पहुंच बढ़ाने के लिए किन्हीं सरकारी-निजी भागीदारी मॉडलों पर विचार किया जा रहा है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुष मंत्रालय (एमओए) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) के बीच दिनांक 12.02.2025 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:-

- i. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल करने के लिए एमओए और डीओएसजेई के बीच सहयोग, संमिलन और तालमेल विकसित करना और साथ ही मादक औषधियों की मांग और मादक द्रव्यों के सेवन को कम करने, जागरूकता बढ़ाकर, आयुष पद्धतियों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के माध्यम से उनके उपचार और मानसिक पुनर्वास का प्रयास करना।
- ii. जराचिकित्सा स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- iii. वृद्धों तथा मादक औषधियों के आदी लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से कोई अन्य गतिविधियाँ।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, वृद्धों की देखभाल के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय की भूमिका और जिम्मेदारियों में आयुष पद्धतियों का प्रशिक्षण मॉड्यूल और उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना, योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वीडियो मॉड्यूल विकसित करना, निवारक और उपचारात्मक देखभाल में ज्ञान और

प्रथाओं को साझा करना, आयुष से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करना और आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकायों के माध्यम से वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है।

एमओयू के तहत, डीओएसजेई आयुष स्वायत्त निकायों को जराचिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, जराचिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करने, वृद्धाश्रमों में किसी भी आयुष सेवा के एकीकरण को बढ़ावा देने, वरिष्ठ नागरिकों के निवारक और उपचारात्मक पहलुओं में आयुष पद्धतियों को शामिल करने, वरिष्ठ नागरिकों के बीच आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने, जराचिकित्सा देखभाल पर आईईसी सामग्री का समर्थन और विकास करने, जराचिकित्सा देखभाल करने वालों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने में सहायता प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समझौता ज्ञापन की पहुंच का विस्तार करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) के साथ समझौता ज्ञापन की प्रति साझा की गई है।
